



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062021-227792
CG-DL-E-22062021-227792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2301]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943

No. 2301]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASHADHA 1, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

का.आ. 2479(अ).—जबकि, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के तहत जारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 2572 (अ), दिनांकित 11.08.2017 द्वारा केंद्र सरकार ने तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 365 [किमी 72.600 से किमी 121.00 तक (तन्नमचेरला- जमंडलपल्ली खंड) को छोड़कर और किमी 154.00 से किमी 187.00 (मंगलवारपेट-मल्लमपल्ली खंड) को तेलंगाना राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे “नियम” के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 365 के नकरेकल – तन्नमचेरला खंड के डिजाइन किमी (-)0.600 से किमी 65.963 तक खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) के वाहनों के प्रकार पर 45.713 किमी लंबाई के निवल सड़क खंड हेतु और 60 मी से अधिक लंबाई वाली संरचना के 10.720 किमी की समतुल्य लंबाई (1.072 किमी लंबाई की संरचना) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर के 60 प्रतिशत पर और दस करोड़ रुपये या अधिक की लागत के 19.778 किमी लंबाई के बाइपासों हेतु तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 90 प्रतिशत पर यांत्रिक वाहनों से फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु फीस प्लाजा पर देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (डिजाइन चैनैज)	लंबाई(किमी में), जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है
तेलंगाना राज्य में सूर्यपेट जिले के कोठागुडेम गांव के पास रारा-365 के डिजाइन किमी 42.950 पर	45.713 किमी	उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित फीस ऐसे पथकर प्लाजा पर दस करोड़ रु. अथवा अधिक लागत के बाइपास के उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाइपास लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं पर देय और संदेय होगी:-

तालिका-3						
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनैज)	बाइपास का नाम	से शुरू होने वाला	पर मिलने वाला	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है		दर, जिस पर फीस संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)	
तेलंगाना राज्य में सूर्यपेट जिले के कोठागुडेम गांव के पास रारा-365 के डिजाइन किमी 42.950 पर	रारा 365 का नकरेकल बाइपास	डिजाइन किमी (-) 0.600(मौजूदा किमी 0.000)	डिजाइन किमी 4.050(मौजूदा किमी 2.800)	4.588	26.45	उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	रारा 365 का परकाकोंडरम बाइपास	डिजाइन किमी 9.770 (मौजूदा किमी 8.750)	डिजाइन किमी 12.370 (मौजूदा किमी 11.480)	2.600	10.61	उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	रारा 365 का माधवरम बाइपास	डिजाइन किमी 15.370	डिजाइन किमी 17.970	2.600	12.02	उपरोक्त तालिका-1 में

		(मौजूदा किमी 14.520)	(मौजूदा किमी 17.300)			उल्लिखित आधार दरों का 90%
	रारा 365 का बंगामारथी और जाजीरेडुगुडेम बाइपास	डिजाइन किमी 19.570 (मौजूदा किमी 18.900)	डिजाइन किमी 22.970 (मौजूदा किमी 22.960)	2.490	10.69	उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	रारा 365 का तुंगातुरथी बाइपास	डिजाइन किमी 35.470 (मौजूदा किमी 35.400)	डिजाइन किमी 38.770 (मौजूदा किमी 40.080)	3.300	13.59	उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	रारा 365 का पेढा नेमिला और दिलसुनपल्ली बाइपास	डिजाइन किमी 60.370 (मौजूदा किमी 63.050)	डिजाइन किमी 64.570 (मौजूदा किमी 67.430)	4.200	17.29	उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित फीस प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	सड़क की समकक्ष लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले में कोठागुडेम गांव के पास रारा 365 के डिजाइन किलोमीटर 42.950 पर	1.072	10.720	उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

दो लेन संरचना का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

चैनेज			संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1.	(-)0.031	0.031	पीएससी /आरसीसी	0.062
2.	20.597	21.507	पीएससी /आरसीसी	0.910
3.	65.833	65.933	पीएससी /आरसीसी	0.100
कुल				1.072

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2020-21 के लिए 275.00 रु. (दो सौ पच्चात्तर रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन परिचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 605.08 करोड़ रु. है। [पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगी सुविधाओं का स्थानान्तरण, पेड़ काटने आदि कार्य-कलापों को अभी पूरा किया जाना है और अंतिम पूंजीगत लागत से अधिसूचित की जाएगी]। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से अर्जित की गई पूंजीगत लागत का रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत के केंद्रीय सरकार के हिस्से के वसूली के पश्चात लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एचवाईडी/एनएचडीपी-16-17/014/कोर]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

S.O. 2479(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. No. 2572(E) dated 11.08.2017 issued under Section 5 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the National Highway Number 365 [excluding from Km 72.600 to km 121.00 (Tanamcherla- Jamandlapally Section) and from km 154.00 to Km 187.00 (Mangalwarpet-Mallampalli Section)] in the State of Telangana to the State Government of Telangana ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 45.713 km and for equivalent length of 10.720 km for structure having length more than 60m (Structure length of 1.072 Km) and at 90% of the base rate for bypasses having length of 19.778 Km costing rupees ten crore or more for use of two lane with paved shoulder on type of vehicle specified in column (1) of table 1 below of Nakrekal to Tanamcherla Section from design kilometre -0.600 to kilometre 65.963 of National Highway number 365 in the State of Telangana and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:

Table-1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery(HCM)or Earth Moving Equipment (EME) or Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely

Table-2		
Location of Fee Plaza (Design Chainage)	Length (in km)for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km. 42.950 of NH-365 near Kothagudem village in Suryapet District of Telangana State	45.713 kms	60% of base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crores or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:

Table-3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of Bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Km 42.950 of NH 365 near Kothagudem village in Suryapet District of Telangana State	Nakrekal Bypass of NH 365	Design km (-) 0.600 (existing km 0.000)	Design km 4.050 (existing km 2.800)	4.588	26.45	90% of base rates mentioned in Table 1 above
	Perkakondaram Bypass of NH 365	Design km 9.770 (existing km 8.750)	Design km 12.370 (existing km 11.480)	2.600	10.61	90 % of base rates mentioned in Table 1 above
	Madhavaram Bypass of NH 365	Design km 15.370 (existing km 14.520)	Design km 17.970 (existing km 17.300)	2.600	12.02	90% of base rates mentioned in Table 1 above

	Vangamarthy and Jajireddygudem Bypass of NH 365	Design km 19.570 (existing km 18.900)	Design km 22.970 (existing km 22.960)	2.490	10.69	90 % of base rates mentioned in Table 1 above
	Tungathurthy Bypass of NH 365	Design km 35.470 (existing km 35.400)	Design km 38.770 (existing km 40.080)	3.300	13.59	90 % of base rates mentioned in Table 1 above
	Pedha Nemila and Dilsunpally Bypass of NH 365	Design km 60.370 (existing km 63.050)	Design km 64.570 (existing km 67.430)	4.200	17.29	90 % of base rates mentioned in Table 1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza by converting the length of structure in to an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10.

Table 4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures (in km) to be converted in to equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 42.950 of NH 365 near Kothagudem village in Suryapet District of Telangana State	1.072	10.720	60% of the base rates mentioned in Table - 1 above

The details of two lane structure are as under:-

Chainage			Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1.	(-)0.031	0.031	PSC/RCC	0.062
2.	20.597	21.507	PSC/RCC	0.910
3.	65.833	65.933	PSC/RCC	0.100
Total				1.072

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 275 (Rupees Two Hundred and Seventy Five) for the year 2020- 21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely,

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of Validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be

entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007 -08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 605.08 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc., are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately] The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/HYD/NHDP-16-17/014/Cor]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.